रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277820
CG-DL-E-10112026-277820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5902] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 5902] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

का.आ. 6141(अ).— जबकि, मेसर्स अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ए.एस.टी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर – 342001, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना " पूर्वी क्षेत्र विद्युत उत्पादन योजना-I (ERGS-I)" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/44/2024-PG (MoP) दिनांक 10.05.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना " पूर्वी क्षेत्र विद्युत उत्पादन योजना-I (ERGS-I)" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ए.एस.टी.एल.), ने स्थानीय समाचार पत्रों उत्कल मेल (हिंदी) दिनांक 05.05.2026, नवभारत (हिंदी) दिनांक 14.05.2026, धरित्री (क्षेत्रीय भाषा - ओड़िया) दिनांक 09.05.2026, उड़ीसा पोस्ट (अंग्रेजी) दिनांक 09.05.2026, टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिनांक 14.05.2026 और साप्ताहिक राजपत्र संख्या 25, भाग IV, नई दिल्ली, शनिवार, 20 जून - 26 जून, 2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया

था। तत्पश्चात मैसर्स अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ASTL) ने दिनांक 21.09.2026 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि समाचार पत्र/भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कोई भी टिप्पणियों / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "पूर्वी क्षेत्र विद्युत उत्पादन योजना-I (ERGS-I)" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- एनएलसी-तालाबीरा जनरेशन स्विचयार्ड पर अंगुल — सुंदरगढ़ (झारसुगुडा) 765 किलोवोल्ट (kV) डबल सर्किट (2xS/c) लाइनों के दोनों सर्किटों का लीलो

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ओडिशा राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँव	तहसील	जिला	क्र. सं.	गाँव	तहसील	जिला
1	बरहमाल	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	19	परमानंदपुर	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
2	भागीपाली	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	20	पत्रपाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
3	भुरकमुंडा	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	21	रघुनाथपाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
4	ब्रून्दामाल	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	22	सलेपाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
5	हिरमा	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	23	समासिंघा	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
6	कतिकेला	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	24	सन्यासिपाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
7	खेरुअल	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	25	श्रीयपाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
8	कुकुरजांघा	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	26	सोडामाल	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
9	कुम्भारी	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	27	तारकेला	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा
10	लुहुरेन कछार	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	28	डेरबा	रेंगाली	संबलपुर
11	मालदा	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	29	धुबेंछापर	रेंगाली	संबलपुर
12	श्रीपुरा	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	30	गुमाकरमा	रेंगाली	संबलपुर
13	तारेकेला	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	31	गुमकरामा	रेंगाली	संबलपुर
14	तुम्बेकेला	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	32	खरियापाली	रेंगाली	संबलपुर
15	दंडबुर्हा	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा	33	लापांगा	रेंगाली	संबलपुर
16	जलाडीही	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा	34	तलबीरा	रेंगाली	संबलपुर

17	खुना पाली	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा	35	टेलकोलाई	रेंगाली	संबलपुर
18	कोलाबीरा	कोलाबिरा	झारसुगुड़ा				

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार मेसर्स अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ए.एस.टी.एल.), को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ए.एस.टी.एल.), को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा

[फा. सं. 25-16/94/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2026

S.O. 6141(E).— Whereas M/s ANGUL SUNDARGARH TRANSMISSION LIMITED (ASTL), the applicant having its registered office at 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur – 342001, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Eastern Region Generation Scheme-I (ERGS-I)".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/44/2024-PG (MoP) dated 10.05.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme ""Eastern Region Generation Scheme-I (ERGS-I)".

M/s ANGUL SUNDARGARH TRANSMISSION LIMITED (ASTL) had published notice for transmission scheme in local newspapers UTKALMAIL (in Hindi) dated 05.05.2026, NAVABHARAT (in Hindi) dated 14.05.2026, DHARITRI (Regional Language-ODIA) dated 09.05.2026, ORISSA POST (in English) dated 09.05.2026, Times of India (in English) dated 14.05.2026 and in Weekly Gazette No. 25, Part IV, New Delhi, Saturday, June 20 - June 26, 2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently M/s ANGUL SUNDARGARH TRANSMISSION LIMITED (ASTL), has submitted an affidavit dated 21.09.2026 declaring that no observations/representations were received within a period of two months from the date of publication of the Public Notice in the newspaper/Official Gazette of the Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Eastern Region Generation Scheme-I (ERGS-I).":

- LILO of both circuits of Angul — Sundargarh (Jharsuguda) 765 kV 2xS/c lines at NLC-Talabira generation switchyard

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of ODISHA:

S. No	VILLAGE	TEHSIL	DISTRICT	S. No	VILLAGE	TEHSIL	DISTRICT
1	Barhamal	Jharsuguda	Jharsuguda	19	Parmanandpur	Kolabira	Jharsuguda
2	Bhagipali	Jharsuguda	Jharsuguda	20	Patrapali	Kolabira	Jharsuguda
3	Bhurkamunda	Jharsuguda	Jharsuguda	21	Raghunathapali	Kolabira	Jharsuguda
4	Brundamal	Jharsuguda	Jharsuguda	22	Sahlepali	Kolabira	Jharsuguda
5	Hirma	Jharsuguda	Jharsuguda	23	Samasingha	Kolabira	Jharsuguda
6	Katikela	Jharsuguda	Jharsuguda	24	Sanyasipali	Kolabira	Jharsuguda
7	Kherual	Jharsuguda	Jharsuguda	25	Shriyapali	Kolabira	Jharsuguda
8	Kukurjangha	Jharsuguda	Jharsuguda	26	Sodamal	Kolabira	Jharsuguda
9	Kumbhari	Jharsuguda	Jharsuguda	27	Tarekela	Kolabira	Jharsuguda
10	Luhuren Kachhar	Jharsuguda	Jharsuguda	28	Derba	Rengali	Sambalpur
11	Malda	Jharsuguda	Jharsuguda	29	Dhubenchhapar	Rengali	Sambalpur
12	Shripura	Jharsuguda	Jharsuguda	30	Ghichamura	Rengali	Sambalpur
13	Tarekela	Jharsuguda	Jharsuguda	31	Gumkarama	Rengali	Sambalpur
14	Tumbeikela	Jharsuguda	Jharsuguda	32	Kharhiapali	Rengali	Sambalpur
15	Dandaburha	Kolabira	Jharsuguda	33	Lapanga	Rengali	Sambalpur
16	Jaladihi	Kolabira	Jharsuguda	34	Talabira	Rengali	Sambalpur
17	Khunapali	Kolabira	Jharsuguda	35	Thelkolai	Rengali	Sambalpur
18	Kolabira	Kolabira	Jharsuguda				

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ANGUL SUNDARGARH TRANSMISSION LIMITED (ASTL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ANGUL SUNDARGARH TRANSMISSION LIMITED (ASTL), shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/94/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.10 21:09:52 +05'30'